झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं०सं०–8/ज०सं०(नि०)देव०–06/2011:– /राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विष्णुपद साहा, ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री विष्णुपद साहा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम–43बी के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री विष्णुपद साहा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (संप्रति सेवानिवृत) से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, भा०प्र०से० (सेवानिवृत) विभागीय जाँच आयुक्त, अभियंत्रण छात्रावास गोलचक्कर राँची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल दुमका को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव पर प्रधान सचिव/उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन मंत्री)/ मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ:– श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, भा०प्र०से० (से०नि०) विभागीय जाँच आयुक्त, अभियंत्रण छात्रावास, गोलचक्कर, राँची/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका/ श्री विष्णुपद साहा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता,सुन्दर लाल मिश्रा रोड, कास्टर टाउन PO + PS- देवघर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

**(डॉ०लम्बोदर महतो)**

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि:–अनुबंध की प्रति के साथ–श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, (से०नि०) भा०प्र०से० विभागीय जाँच आयुक्त अभियंत्रण छात्रावास, गोलचक्कर, राँची/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका/ श्री विष्णुपद साहा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका संप्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, सुन्दरलाल मिश्रा रोड, कास्टर टाऊन, PO + PS- देवघर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करें। साथ ही साथ कार्यवाही से अवगत कराते रहे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

कृ०पृ०उ०

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनुलग्नकः–यथावत्।

ह०/–

(डॉ॰लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 4053 /राँची, दिनांकः 11-4-14

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/4/14

(डॉ॰लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

10.4.14